



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



---

संख्या - 317 राँची, सोमवार, 6 ज्येष्ठ, 1946 (श०)  
27 मई, 2024 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

17 मई, 2024

**संख्या-5/आरोप-1-9/2016 का.-25523 (HRMS)--श्री प्यारे लाल, झा०प्र०से०** (कोटि क्रमांक-247/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-169/स्था०, दिनांक-07.02.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

“दिनांक- 27.08.2013 को प्रातः श्री मुकेश सिंह एवं श्री सोनू कुमार शर्मा (चालक) अपने लाल रंग की बोलेरो गाड़ी संख्या- जे0 एच0-15 डी0-1155 में जब अपने ससुराल ग्राम- बाघमारी, थाना-देवीपुर से देवघर आ रहा था उसी दौरान ग्रामीणों ने आतंकी होने के संदेह पर हमला बोल कर पीट-पीट कर दोनों की हत्या कर दी एवं बोलेरो गाड़ी आग के हवाले कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि -

‘मृतक सोनू कुमार शर्मा की माँ श्रीमति सुमित्रा देवी के बयान तथा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित लोगों से पूछताछ करने से प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी, जसीडीह श्री रामबाबु मंडल वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उक्त घटना को अंजाम दिया गया। श्री प्यारे लाल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर भी घटना स्थल पर मौजूद थे। इस दोनों की उपस्थिति के बाद भी इनके द्वारा भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे पूरे जिले में विधि-व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई। इसके लिए ये दोनों पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार हैं।”

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखण्ड, राँची ने भी Case No 16/2013 में श्री प्यारेलाल के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है।

अतः इस संबंध में इस आरोप की पुष्टि होती है।”

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3801, दिनांक 21.03.2017 द्वारा श्री लाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री लाल के पत्रांक-577, दिनांक 18.04.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनका स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-19968(HRMS), दिनांक 05.04.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-136 दिनांक 14.06.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि बिना किसी अवसर एवं आयोजन विशेष के सामान्य दिनों में प्रातः 05 बजे बिना किसी प्रतिनियुक्ति आदेश के आरोपित पदाधिकारी को मुख्यालय से 15 कि॰मी॰ दूरी पर अवस्थित घटना स्थल पर मौजूद रहने से संबंधित गलत, निराधार, काल्पनिक एवं मनगढ़ंत आरोप प्रतिवेदित किये जाने के फलस्वरूप यह कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

5. श्री लाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

6. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्यारे लाल, झा॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-247/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्यारे लाल, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-247/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                                                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       |
| 1      | PYARE LAL<br>110021165705   | श्री प्यारे लाल, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-247/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर को आरोप मुक्त किया जाता है । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्टु दोराईबुरु,**

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057

-----